



मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समीक्षा बैठक

दिनांक 03-02-2016

1

विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति

1. 15 केंद्रीय श्रम अधिनियमों में संशोधन-
 - 11-11-15 को महामहिम राष्ट्रपतिजी की स्वीकृति प्राप्त
 - 27-11-15 को संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित
2. सभी अनुज्ञप्तियां व इंजीनियरिंग ऑनलाइन
3. सभी अनुज्ञप्तियां व इंजीनियरिंग लोकसेवा अंतर्गत
4. सभी अनुज्ञप्तियां व इंजीनियरिंग हेतु एंटरनेट प्रक्रिया
5. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अंतर्गत ऑन लाइन सिंगल विंडो विकसित
 - साईबर ट्रेजरी से लिंकेज
 - आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, आवेदन फार्म, निरीक्षण प्रक्रिया एवं निरीक्षण बिंदु आदि विवरण जन सामान्य को वेब पोर्टल पर उपलब्ध
6. नागरिकों हेतु मोबाईल एप "m-Shram Sewa App" उपलब्ध

2

**विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति
उल्लेखनीय कार्यों हेतु श्रम विभाग को पुरस्कार/ प्रशंसा पत्र**

1. मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रादुयोगिकी विभाग द्वारा श्रम सेवा पोर्टल को ई-गवर्नेंस अंतर्गत प्रथम पुरस्कार (माह अप्रैल 2015)
2. स्काच फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा श्रम सेवा पोर्टल को स्मार्ट गवर्नेंस अंतर्गत राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार (माह सितंबर 2015)
3. मध्यप्रदेश द्वारा किये गये श्रम सुधारों के लिये स्काच फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा स्मार्ट गवर्नेंस अंतर्गत एंड एफ मेरिट का राष्ट्रीय पुरस्कार (माह सितंबर 2015)
4. कम्प्यूटर सोसायटी एफ इंडिया (सीएसएय निहिलेंट) द्वारा श्रम सेवा पोर्टल को ई-गवर्नेंस अंतर्गत सराहनीय कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार (माह दिसंबर 2015)

3

नवीन प्रवर्तित योजना

क्र	योजना का नाम	प्रावधान
1	शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना-	योजनांतर्गत पात्रताधारी निर्माण श्रमिक को स्वयं के नाम से मकान हेतु शौचालय निर्माण हेतु रुपये 15000 का अनुदान जीवनकाल में एक बार दिया जावेगा।
2	दोपहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना	दो पहिया वाहन की वास्तविक कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रुपये 10000 दोनों में से जो भी कम हो, बैंक ऋण के माध्यम से क्रय किये जाने पर राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
3	व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु	न्यूनतम 3 वर्ष तक सतत वैध परिचयपत्रधारी निर्माण श्रमिक के परिवार के आश्रित सदस्यों द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं हेतु कोचिंग लिये जाने की दशा में रुपये 20000 अथवा अनुदान कोचिंग शुल्क 75 प्रतिशत (दोनों में से जो कम हो) अनुदान दिया जाता है।
4	निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपजिकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अन्योष्ण एवं अनुग्रह योजना	निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में अपजिकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में रुपये 1 लाख अनुग्रह राशि तथा रुपये 3000 अत्योष्ण सहायता प्रदान की जावेगी। अपंगता की स्थिति में 75000 रुपये की सहायता।
5	सायकल अनुदान योजना	सायकल की वास्तविक कीमत का 75 प्रतिशत अथवा रुपये 2500 दोनों में से जो भी कम हो, राशि अनुदान के रूप में सायकल खरीदी हेतु
6	औजार / उपकरण खरीदी पर अनुदान	किण की कीमत का 50 प्रतिशत या 1500 रुपये, जो भी कम हो।

4

वर्ष 2015-16 में योजनाओं में किये गये महत्वपूर्ण संशोधन

क्र	योजना का नाम	पूर्व प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना-	योजनांतर्गत पात्रताधारी निर्माण श्रमिक को स्वयं के नाम से मकान हेतु	योजनांतर्गत पात्रताधारी निर्माण श्रमिक को स्वयं अथवा परिवार के नाम से मकान हेतु शौचालय निर्माण हेतु रुपये 15000 का अनुदान जीवनकाल में एक बार दिया जावेगा।
2	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (शहरी योजना)	न्यूनतम 4 वर्ष तक सतत वैध परिचयपत्रधारी पात्र	न्यूनतम 2 वर्ष तक सतत वैध परिचयपत्रधारी पात्र
3	मध्यप्रदेशभवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना	न्यूनतम 4 वर्ष तक सतत वैध परिचयपत्रधारी पात्र	न्यूनतम 2 वर्ष तक सतत वैध परिचयपत्रधारी पात्र
4	मध्यप्रदेशभवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना	न्यूनतम 4 वर्ष तक सतत वैध परिचयपत्रधारी पात्र	न्यूनतम 2 वर्ष तक सतत वैध परिचयपत्रधारी पात्र

5

आवेदन पत्रों को सरलीकृत कर ऑनलाइन प्रणाली में दस्तावेजों की संख्या न्यूनतम की गई

क्र.	अधिनियम का नाम	सेवा का नाम	पूर्व में वांछित दस्तावेज	वर्तमान में वांछित दस्तावेज	
1	म.प्र.दुकान एवं स्था.अधि.1958	दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन	7	3	
2	म.प्र.दुकान एवं स्था.अधि.1958	दुकान संस्थान की स्थापना के पंजीयन का नवीनीकरण	7	2	
3	सविदा श्रम (वि.एवं स.) अधि. 1970	टेकेंदारों को अनुज्ञप्ति का प्रदाय करना	7	3	
4	सविदा श्रम (वि.एवं स.) अधि. 1970	टेकेंदारों को जारी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कर प्रदाय करना	7	2	
5	अन्तरीज्यीय प्रवासी कर्म (नि.का वि.एवं से.श.) अधि. 1979	पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करना	8	3	
6	मोटर परिवहन श्रमिक अधि. 1961	पंजीयन का प्रदाय करना	8	3	
7	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्म (नि. तथा से.श. का वि.) अधि. 1996	पंजीयन का प्रदाय करना	6	3	
8	कारखाना अधिनियम 1948	नक्शा अनुमोदन	3	3	
9	कारखाना अधिनियम 1948	अनुज्ञप्ति जारी किया जाना-			
			(गैर खतरनाक)	18	5
			(खतरनाक)	21	14

6